न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 590/2018
दायर दिनांक :– 18.07.2018

अनवान

श्री रतनलाल उर्फ रामरतन पिता कल्याण खारोल नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री शम्भुलाल पिता मूरली मनोहर ब्राहमण नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
2. श्री लादू पिता नंन्दा खारोल नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
3. श्री मुन्ना पिता जोधा मीणा नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
4. श्री सोजी नाथ पिता गोरू नाथ नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
5. श्री सुवा नाथ पिता गोरू नाथ नि. शक्करगढ तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम शक्करगढ प0 ह0 शक्करगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 1522/13 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 1522/18 रकबा 2.00 बीघा, 1522/9 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 1548 रकबा 4.04 बीघा, आ. न. 1550 रकबा 3.14 बीघा कुल किता 5 रकबा 13.18 बीघा, आ.न. 1522/18 रकबा 2.00 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओ को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शक्करगढ प0 ह0 शक्करगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 1522/13 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 1522/18 रकबा 2.00 बीघा, 1522/9 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 1548 रकबा 4.04 बीघा, आ. न. 1550 रकबा 3.14 बीघा कुल किता 5 रकबा 13.18 बीघा, आ.न. 1522/18 रकबा 2.00 बीघाभुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1200 रू तय किये जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.08.26 10:36:01 IST
Reason: SelfAttested